<u>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, वैशाली, हाजीपुर</u>

सत्र वाद संख्या 93/1987
सरकार बनाम् नागेन्द्र सिंह वगैरह

दिनांक 08.04.2025

सभी 17 अभियुक्तों में से 10 अभियुक्तों की ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दाखिल किया गया जिसे आज भर के लिए स्वीकृत किया गया, शेष 07 अनुपस्थित अभियुक्त अगली तिथि को उचित पैरवी करें। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि श्री अभय शंकर मिश्रा, तत्कालीन विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी सी0बी0आई0 बिहार पटना के पत्रांक 68 दिनांक 13.08.1996 के मांग पत्र, जिसमें उस विद्वान न्यायालय के अभियोजन पक्ष द्वारा बिदुपुर थाना कांड संख्या 44/1982 अंतर्गत धारा 302 भा0द0वि0 एवं धारा 25a तथा 26 शस्त्र अधिनियम से संबंधित वाद के संपूर्ण अभिलेख की मांग की गयी थी, के आलोक में इसे तत्कालीन विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश – तृतीय वैशाली के मेमो संख्या 334/1996 दिनांक 12.08.1996 द्वारा वहां भेजा गया था, किन्तु अभी तक वहां से अप्राप्त है। इस संबंध में विद्वान सत्र न्यायाधीश वैशाली द्वारा पत्रांक संख्या 4659/2016 दिनांक 27.09.2016 को भी विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना को सूचित किया गया था और पूर्व में भी इस संबंध में कई बार पत्र लिखा जा चुका है, किंतु अभी तक मूल अभिलेख अप्राप्त है जिस कारण वर्ष 1987 ई0 से यह सत्र वाद लंबित चला आ रहा है। इसी संबंध में दिनांक 04.07.2022 को पत्रांक 543 के माध्यम से विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम वैशाली द्वारा भी संबंधित सी0बी0आई0 कोर्ट को पत्र द्वारा सूचित किया गया था। इन सभी संबंधित पत्रों तथा दस्तावेजों को पुनः संलग्न करते हुए कार्यालय का निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना को तत्काल सूचित करें तथा उसकी एक प्रति संबंधित न्यायालय को भी प्रदान करें ताकि मूल अभिलेख की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके और माननीय उच्च न्यायालय पटना के पुराने वादों को निष्पादित करने के आदेश का अनुपालन हो सके।

दिनांक 06.05.2025 को अग्रतर कार्रवाई एवं मूल अभिलेख प्राप्ति हेतु।

(गौरव कमल)
लेखापित
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय

मेमो संख्या /2025 **दिनांक 08.04.2025**

प्रतिलिपि सी0बी0आई0 कोर्ट पटना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय